

**कार्यालय चुनाव अधिकारी
एवं मुख्य अभियन्ता**

पत्रांक

दिनांक

आदेश

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत समिति का निर्वाचन कराने हेतु खण्डीय चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति एतद् द्वारा निम्नानुसार की जाती है:-

क्र०सं०	खण्ड का नाम	खण्डीय चुनाव अधिकारी का नाम व पद	समिति का विवरण जिसमें निर्वाचन हेतु नियुक्त किया गया है

हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी एवं मुख्य
अभियन्ता

प्रतिलिपि-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी
2. निदेशक, पिम
3. जिलाधिकारी

**कार्यालय चुनाव अधिकारी
एवं मुख्य अभियन्ता**

पत्रांक

दिनांक

आदेश

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत समिति का निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी की एतद् द्वारा निम्नानुसार की जाती है :-

क्र०सं०	खण्ड का नाम	निर्वाचन अधिकारी का नाम व पद	समिति का विवरण जिसमें निर्वाचन हेतु नियुक्त किया गया है

हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी एवं

.....

प्रतिलिपि-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी
2. निदेशक, पिम
3. जिलाधिकारी

**कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी
एवं अधिशासी अभियन्ता**

पत्रांक

दिनांक

आदेश

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत समिति का निर्वाचन कराने हेतु सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति एतद् द्वारा निम्नानुसार की जाती है :-

क्र०सं०	सहायक निर्वाचन अधिकारी का नाम व पद	कार्यक्षेत्र	समितियों का विवरण जिसमें निर्वाचन कराने हेतु नियुक्त किया गया है

हस्ताक्षर
खण्डीय चुनाव अधिकारी एवं
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि-

1. चुनाव अधिकारी
2. उपचुनाव अधिकारी
3. जिलाधिकारी

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी

आदेश

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत होने वालेसमिति के सदस्यों के चुनाव हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी एवं टीम में उनके सम्मुख अंकित कर्मियों को कार्य सम्पादन हेतु एतद्वारा नियुक्त किया जाता है—

क्र०सं०	प्रभारी अधिकारी	नाम व पद	कार्मिक का नाम व पद	प्रभारी अधिकारी के कार्य
1.	प्रभारी अधिकारी प्रशासन			
2.	प्रभारी अधिकारी निर्वाचन सामग्री			
3.	प्रभारी अधिकारी कार्मिक			
4.	प्रभारी अधिकारी परिवहन			
5.	अन्य			

नोट—कॉलम-2 में खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. चुनाव अधिकारी
2. उप चुनाव अधिकारी
3. समस्त नामित प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी

खण्डीय चुनाव अधिकारी

.....

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी

आदेश

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत दिनांकको समितियों के का मतदान सम्पन्न कराने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु एतद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्र०सं०	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व पद नाम	मतदान केन्द्र		मतदान स्थल	
		संख्या	नाम	संख्या	नाम

निर्देश:-

1. निर्वाचन सम्बन्धी प्रथम प्रशिक्षण दिनांकतथा अन्तिम प्रशिक्षण दिनांकको प्रातःपूर्वाह्न से सायंबजे तक होगा। समस्त मतदान कार्मिकों को निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान हेतु प्रस्थान के समय अपना स्टेशनरी बैग प्रशिक्षण स्थल पर बने निर्धारित काउन्टर से प्राप्त करेंगे।
3. सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केन्द्र की व्यवस्था यथा पेयजल, शेड, मार्ग की स्थिति, रैम्प तथा मतदान केन्द्र की संवेदनशीलता आदि के सम्बन्ध में दिनांक को निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।
4. पोलिंग पार्टियाँ दिनांक को प्रातः बजे से निर्धारित वाहन से मतदेय स्थल हेतु प्रस्थान करेंगी।
5. मतदान दिनांक को प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति पर सील्ड मतपेटी व अन्य सामग्री में निर्धारित काउन्टरों पर उसी दिन जमा करनी होगी।
6. समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण, पार्टी प्रस्थान व मतदान के समय निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिलाधिकारी महोदय
2. पुलिस अधीक्षक महोदय
3. चुनाव अधिकारी
4. उप चुनाव अधिकारी
5. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी
6. उल्लिखित निर्वाचन कर्मी नाम से

खण्डीय चुनाव अधिकारी

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी

आदेश

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत दिनांकसमितियों के
 के मतदान सम्पन्न कराने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित पद के दायित्वों के
 निर्वहन हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट (रिजर्व) के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्र०सं०	निर्वाचन कर्मियों का विवरण	

निर्देश:-

1. निर्वाचन सम्बन्धी प्रथम प्रशिक्षण दिनांकतथा अन्तिम प्रशिक्षण दिनांकको प्रातः .
पूर्वाह्न से सायंबजे तकमें होगा। समस्त मतदान
 कार्मिकों को निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान हेतु प्रस्थान के समय अपना स्टेशनरी बैग प्रशिक्षण स्थल पर बने निर्धारित
 काउन्टर से प्राप्त करेंगे।
3. सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केन्द्र की व्यवस्था यथा पेयजल, शोड, मार्ग की स्थिति, रैम्प तथा मतदान केन्द्र
 की संवेदनशीलता आदि के सम्बन्ध में दिनांक को निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत
 करेंगे।
4. पोलिंग पार्टियाँ दिनांक को प्रातः बजे से निर्धारित
 वाहन से मतदेय सिलि हेतु प्रस्थान करेंगी।
5. मतदान दिनांक को प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति पर सील्ड
 मतपेटी व अन्य सामग्री में निर्धारित काउन्टरों पर उसी दिन
 जमा करनी होगी।
6. समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण, पार्टी प्रस्थान व मतदान के समय निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र पहनना
 अनिवार्य होगा।
7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय
 अपराध है।

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिलाधिकारी महोदय
2. पुलिस अधीक्षक महोदय
3. चुनाव अधिकारी
4. उप चुनाव अधिकारी
5. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी
6. उल्लिखित निर्वाचन कर्मों नाम से

खण्डीय चुनाव अधिकारी

.....

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी

आदेश

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत दिनांकको प्रस्तावित कुलाबा समितियों के उपकमाण्डों के द्वितीय चरण के मतदान सम्पन्न कराने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु एतद्वारा नियुक्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के अपरिहार्य अनुपस्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का दायित्व भी निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाता है-

क्र०सं०	मतदान केन्द्र		मतदान स्थल		निर्वाचन कर्मियों का विवरण	
	संख्या	नाम	संख्या	नाम	पीठासीन अधिकारी	
					प्रथम मतदान अधिकारी	
					द्वितीय मतदान अधिकारी	

निर्देश:-

1. निर्वाचन सम्बन्धी प्रथम प्रशिक्षण दिनांकतथा अन्तिम प्रशिक्षण दिनांकको प्रातःपूर्वाह्न से सायंबजे तकमें होगा। समस्त मतदान कार्मिकों को निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण के समय अपना स्टेशनरी बैग प्रशिक्षण स्थल पर बने निर्धारित काउन्टर से प्राप्त करेंगे।
3. पोलिंग पार्टियाँ दिनांक को प्रातः बजे से निर्धारित वाहन से मतदेय स्थल हेतु प्रस्थान करेंगी।
4. मतदान दिनांक को प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति पर सील्ड मतपेटी व अन्य सामग्री में निर्धारित काउन्टरों पर उसी दिन जमा करनी होगी।
5. समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण, पार्टी प्रस्थान व मतदान के समय निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिलाधिकारी महोदय
2. पुलिस अधीक्षक महोदय
3. चुनाव अधिकारी
4. उप चुनाव अधिकारी
5. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी
6. उल्लिखित निर्वाचन कर्मियों नाम से

खण्डीय चुनाव अधिकारी

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी

आदेश

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत दिनांकको समितियों के उपकमाण्डों के द्वितीय चरण के मतदान सम्पन्न कराने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु रिजर्व मतदान कर्मियों के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्र०सं०	निर्वाचन कर्मियों का विवरण (रिजर्व)	
1.	पीठासीन अधिकारी	
2.	प्रथम मतदान अधिकारी	
3.	द्वितीय मतदान अधिकारी	

निर्देश:-

1. निर्वाचन सम्बन्धी प्रथम प्रशिक्षण दिनांकतथा अन्तिम प्रशिक्षण दिनांकको प्रातःपूर्वाह्न से सायंबजे तकमें होगा। समस्त मतदान कार्मिकों को निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण के समय अपना स्टेशनरी बैग प्रशिक्षण स्थल पर बने निर्धारित काउन्टर से प्राप्त करेंगे।
3. पोलिंग पार्टियाँ दिनांक को प्रातः बजे से निर्धारित वाहन से मतदेय स्थल हेतु प्रस्थान करेंगी।
4. मतदान दिनांक को प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति पर सील्ड मतपेटी व अन्य सामग्री में निर्धारित काउन्टरों पर उसी दिन जमा करनी होगी।
5. समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण, पार्टी प्रस्थान व मतदान के समय निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिलाधिकारी महोदय
2. पुलिस अधीक्षक महोदय
3. चुनाव अधिकारी
4. उप चुनाव अधिकारी
5. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी
6. उल्लिखित निर्वाचन कर्मों नाम से

खण्डीय चुनाव अधिकारी

कार्यालय खण्डीय चुनाव अधिकारी

आदेश

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत दिनांकको सम्पन्न कराए गए
.....समितियों केके मतदान की मतगणना कराने हेतु निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नामों के
समक्ष उल्लिखित पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु एतद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्र०सं०	निर्वाचन कर्मियों का विवरण (मतगणना)	
1.	मतगणना पर्यवेक्षक	
2.	मतगणना सहायक	

निर्देश:-

1. मतदान पार्टियों का प्रथम प्रशिक्षण दिनांकतथा अन्तिम प्रशिक्षण दिनांकको प्रातःपूर्वाह्न से सायंबजे तकमें होगा। समस्त मतदान कार्मिकों को निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. मतगणना पार्टी दिनांक को प्रातः 8:00 बजे से पूर्व में मतगणना कार्य हेतु उपस्थित होंगे।
3. मतगणना दिनांक को प्रातः 8:00 बजे से आरम्भ की जाएगी।
4. समस्त कार्मिकों को मतगणना में निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र पहनना अनिवार्य होगा।
5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है।

खण्डीय चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिलाधिकारी महोदय
2. पुलिस अधीक्षक महोदय
3. चुनाव अधिकारी
4. उप चुनाव अधिकारी
5. समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी
6. उल्लिखित निर्वाचन कर्मों नाम से

खण्डीय चुनाव अधिकारी

मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था

अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण
एक मतदान टोली के लिए

क्रम	सामग्री का नाम	मात्रा प्रति किट
1	2	3
1	मतपत्र	आवश्यकतानुसार (चुनाव अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)।
2	निर्वाचक नामावली	05 (खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी)।
3	अमिट स्याही	निर्वाचन आयोग से प्राप्त की जाएगी।
	जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाने वाली सामग्री	
1	पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की सील	01
2	पुशर (मतपत्रों को पेटी में दबाने के लिए)	01
3	पेपर सील	06
4	मतपेटी	01
5	जूट/कपड़े का थैला	01
	खण्ड स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री	
6	मतपत्र पर लगाने के लिए एरोक्रास सील	04
7	स्याहीयुक्त स्टाम्प पैड बैंगनी (मीडियम)	02
8	स्टाम्प पैड इंक	01
9	बाल पेन नीली रिफिल सहित	03
10	कपड़े का टुकड़ा	टुकड़ा
11	आलपिन पत्ता	01
12	सीलिंग बैक्स (Wax) बत्ती	08
13	अभ्याक्षेपित मतों के लिए निक्षेप की रसीद 10 पन्नों की	01

14	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	04
15	गोंद की शीशी 60 एम0एल0/लेई	01
16	माचिस	01
17	ब्लेड	01
18	मतदान अधिकारियों के लिए बैज	05
19	मतदान अभिकर्ता का बैज	30
20	पीठासीन अधिकारियों के लिए बैज	01
21	मतपत्र को अलग करने के लिए धारदार पत्ती	02
22	मतदाताओं के प्रवेश की पट्टी	02
23	मतदाताओं के निकास की पट्टी	02
24	पेपर सील को मजबूत करने के लिए कार्डबोर्ड (2"X3.5")	06
25	मतदान स्थल की सुभिन्नक चिन्ह वाली मुहर	01
26	पैकिंग पेपर कुल सीट (18"X22")	02
27	मतपेटियों के लिए लेवल	02
28	पते की चिट	02
29	उपयोग में न लाए गए पीठासीन अधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त मतपत्र रखने के लिए लिफाफे (11"X16")	04
30	उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपण रखने के लिए लिफाफे (11"X6")	04
31	निविदत्त मतपत्र रखने हेतु लिफाफा (9"X4")	04
32	निविदत्त मतपत्रों की सूची रखने के लिए लिफाफे (9"X4")	04
33	उपयोग में न लाए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफा (11"X16")	04
34	रद्द अथवा वापस किए गए मतपत्र रखने के लिए लिफाफा (4"X10")	04
35	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां रखने के लिए लिफाफा (9"X11")	04
36	मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र को रखने के लिए लिफाफा (9"X4")	04
37	पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने का लिफाफा	01
38	रसीद बुक एवं संग्रहित धनराशि रखने का मोटे कागज का लिफाफा (11"X16")	01
39	अप्रयुक्त पेपरसील रखने का मोटे कागज का लिफाफा (9"X4")	01

40	मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए गए मतपत्रों का लिफाफा	04
41	पीठासीन अधिकारी के उपयोगार्थ सादे लिफाफे	04
42	मतपत्र लेखा के लिए लिफाफा (9"X4")	04
43	पेपरसील लेखा का लिफाफा (9"X4")	01
44	मोमबत्ती (लम्बाई 200 एम0एम0)	06
45	लचीला तार (1 गज)	01
46	प्रत्येक पद के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	02
47	नियुक्ति पत्र	04
48	पीठासीन अधिकारी की डायरी (02 फुलस्केप पन्ने की डायरी)	01
49	अन्धे अशक्त मतदाताओं की सूची	04
50	अन्धे अशक्त निर्वाचन के साथी द्वारा घोषणा	04
51	मतदान के लिए मतपेटी के प्रयोग का घोषणा पत्र	03
52	कार्बन पेपर	01
53	सुतली	50 ग्राम
54	धागा	छोटा गुल्ला
55	धागे के साथ बन्द करने के लिए (5X5से0मी0) मोटा कागज का टुकड़ा	10
56	लाल, नीली पेंसिल	03
57	सादा कागज	04
58	स्त्री, पुरुष की पट्टी	02
59	दपती का टुकड़ा (8"X5")	04
60	दपती का टुकड़ा (11"X 3")	04
61	मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र (मतदान दल)	05
62	मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र (पीठासीन अधिकारी)	01
63	रिसीट मेमो	02
64	कॉटन डोरी	03
65	कॉटन टेप	04
66	सूजा	01
67	ब्रास सील	01

निर्वाचन कार्यक्रम

..... समिति का निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०सं०	कार्यक्रम चरण
		तिथियाँ	चरण तिथियाँ	चरण तिथियाँ
1.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना			
2.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा			
3.	नाम वापसी			
4.	चुनाव चिन्ह का आवंटन			
5.	मतदान			
6.	मतगणना			
7.	परिणाम की घोषणा			

हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी

**कार्यालय चुनाव अधिकारी
एवं मुख्य अभियन्ता**

पत्रांक

दिनांक

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 एवं तदधीन निर्मित उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के अन्तर्गत संगठन के निम्नलिखित विवरण के अनुसार (कुलाबा/अल्पिका/रजबहा) समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम एतद् द्वारा निम्नवत् अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया जाता है।

.....समितियों का विवरण

.....
..... खण्ड का नाम

अनुसूची

क्र०सं०	कार्यक्रम चरण	 चरण	 चरण	
		तिथि	समय	तिथि	समय	तिथि	समय
1.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना						
2.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा						
3.	नाम वापसी						
4.	चुनाव चिन्ह का आवंटन						
5.	मतदान						
6.	मतगणना						
7.	परिणाम की घोषणा						

हस्ताक्षर

चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि—

1. मुख्य चुनाव अधिकारी
2. निदेशक, पिम
3. जिलाधिकारी
4. उप चुनाव अधिकारी
5. खण्डीय चुनाव अधिकारी
6. सम्बन्धित जनपद के समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु

जल उपभोक्ता समिति

क्रम सं०

नामांकन प्रपत्र

(अनुलग्नक-ग का प्रस्तर-23 देखें)

1. मूल प्रवाहिका का नाम.....
(अल्पिका/रजबहा/शाखा)
2. प्रवाहिका का नाम.....(कुलाबा सं०/अल्पिका/रजबहा/शाखा)
3. पहुँच/उप-कमांड का नाम.....
4. अभ्यर्थी का पूरा नाम.....
5. प्रत्याशी की श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति)
6. पिता या पति का नाम.....
6. अभ्यर्थी का पता
7. निर्वाचन नामावली में अभ्यर्थी की क्रम संख्या.....
8. कुलाबा कमाण्ड में प्रत्याशी का प्लॉट संख्या.....
9. आयु.....
10. लिंग.....
11. व्यवसाय और पता.....

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

12. प्रस्तावक का नाम
13. प्रस्तावक के पिता का नाम
14. प्रस्तावक का पता

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

प्रत्याशी की घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि:-

- मैं निर्वाचन के लिए पात्र और प्रतिभागिता के लिए इच्छुक हूँ।
- मेरी आयु जैसा कि ऊपर लिखी गई है सही है।
- मैं किसी अन्य उप-कमाण्ड/पहुँच से प्रत्याक्षी नहीं हूँ।
- मैं ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु पात्र हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

यह नामांकन पत्र मुझे.....(व्यक्ति) दिनांक.....को बजे प्रस्तुत हुआ।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रत्याशी की प्रति

क्रम सं०.....

1. प्रत्याशी का नाम
2. मूल प्रवाहिका का नाम
3. प्रवाहिका का नाम/कुलाबा सं०
4. पहुँच/उपकमाण्ड का नाम
5. नामांकन संवीक्षा की तिथि – समय – स्थान
6. प्रत्याशी की भू-खण्ड संख्या
7. प्रत्याशी का मतदाता सूची में क्रमांक
8. यह नामांकन पत्र मुझे.....(व्यक्ति) दिनांक.....को बजे प्रस्तुत हुआ।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

जमानत धनराशि प्राप्तगी रसीद

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत
(कुलाबा/अल्पिका/रजबहा/शाखा) समिति के(सब-कमाण्ड/रीच) के प्रत्याशी श्रीपुत्र
.....से, जोश्रेणी के हैं, नामांकन हेतु निर्धारित रू0.....दिनांकको प्राप्त किया।

हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

संवीक्षा की सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि समिति के के सदस्य हेतु आप द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्र की संवीक्षा पर दिनांक को बजे की जाएगी।

हस्ताक्षर

सहायक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी/सहयोगी कर्मी

जल शुल्क/भू-राजस्व अदेयता प्रमाण-पत्र

मैं,(प्रत्याशी का नाम) पुत्र.....यह प्रमाणित करता हूँ कि गत तीन वर्षों से मेरे ऊपर जल शुल्क/भू-राजस्व का कोई बकाया शेष नहीं है।

हस्ताक्षर प्रत्याशी

नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला शपथ-पत्र

खण्ड का नाम

पैतृक नहर का नाम

...

(अल्पिका/रजबहा/शाखा)

समिति का नाम
(कुलाबा/अल्पिका/रजबहा/शाखा)

कुलाबा उपकमाण्ड संख्या/रीच
के प्रत्याशी का निर्वाचन

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र वर्ष, निवासी
.....जो उपर्युक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ सत्यनिष्ठा से शपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

1. मैं विधान सभा के निर्वाचन हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा के अतिरिक्त किसी नियम के अन्तर्गत अनर्हित नहीं हूँ, मेरी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं है;
2. मैं ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हूँ;
3. मैं केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय/संगठन में लाभ के पद पर नहीं हूँ;
4. मैं केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय/संगठन से पदच्युत नहीं किया गया हूँ;
5. मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिनियम, 1910 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपराधी नहीं हूँ;/3 माह से अधिक जेल की सजा प्राप्त नहीं किया हूँ;
6. मैं आवश्यक आपूर्ति अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत अपराधी नहीं हूँ;/6 माह से अधिक जेल की सजा प्राप्त नहीं किया हूँ;
7. मैं यू0पी0 नारकोटिक ड्रग अधिनियम, 1985, निर्वाचन अपराध, सांसद डिसएबिलिटी अधिनियम, 1947 एवं सिविल राइट एक्ट-1955 के अन्तर्गत अपराधी नहीं हूँ;
8. मेरे ऊपर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत का कोई कर/फीस अथवा देय राशि बकाया नहीं है।

शपथी/प्रत्याशी का हस्ताक्षर
अथवा अंगूठे का निशान

एकल नामांकन प्रमाण-पत्र

मैं,पुत्र.....यह प्रमाणित करता हूँ कि(समिति का नाम) समिति के
.....(उप-कमाण्ड/रीच) के सदस्य के नामांकन के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से सदस्य पद हेतु नामांकन नहीं
किया है।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्राप्त नामांकन की सूची
(अनुलग्नक-ग का नियम 32 देखें)

.....प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए दिनांक..... प्राप्त हुए नामांकन की सूची

नामांकन प्रपत्र का क्रमांक	प्रत्याशी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में प्रत्याशी का क्रमांक	नहर का नाम/कुला बा संख्या	नहर पहुँच/कु लाबा उपकमाण्ड संख्या	प्रत्याशी की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक समय बजे

स्थान

तिथि को की जाएगी।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी का
हस्ताक्षर

हिन्दी वर्णमाला प्रयोग विधि

निर्वाचन अधिकारी द्वारा हिन्दी वर्णानुक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा—

1. हिन्दी का वर्णानुक्रम निम्न प्रकार से रखा जाएगा:—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं

क क्ष ख ग घ

च छ ज झ

ट ठ ड ढ

त त्र थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व ष श्र श स ह झ ।

2. वैध नाम निर्देशन और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तथा मत-पत्रों में उम्मीदवारों के नामों का क्रम उनके नामों के प्रथम वर्ण (लेटर) पर आधारित होंगे।

3. यदि किसी उम्मीदवार के नाम के आगे कोई अक्षर दिया गया हो तो उसकी उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपेक्षा कर देनी चाहिए उदाहरणार्थ— यदि किसी उम्मीदवार का नाम हृदय नारायण खरे है, तो वर्णानुक्रम में “हृ” लिया जाएगा परन्तु यदि यही नाम एच0एन0 खरे लिया गया है, तो ऐसे मामले में उपरोक्त प्रयोजन हेतु वर्णक्रम ‘ख’ वर्ण से प्रारम्भ माना जाएगा। न कि “हृ” वर्ण से।

4. यदि किन्हीं दो उम्मीदवारों का एक ही नाम हो परन्तु उनके अक्षर भिन्न-भिन्न हो जैसे के0एन0 खरे और पी0एस0 खरे तो इन दोनों नामों का वर्णक्रम नाम पहले अक्षरों के आधार पर किया जाएगा अर्थात् के0 का “क” व पी0 का “प” वर्ण के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा। “के0एन0 खरे” के बाद “पी0एस0 खरे” रखा जाएगा।

5. यदि दो या इससे अधिक उम्मीदवारों के नाम एक ही हों, परन्तु उनके “कुल नाम” (सर नेम) भिन्न-भिन्न हों तो उनके नामों को “कुलनाम” के वर्णों से वर्णानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणार्थ निम्नलिखित तीन नामों का क्रम निर्धारित करना है :—

गोपाल ऐरन

गोपाल जायसवाल

गोपाल अवस्थी

यहाँ ऐरन, जायसवाल व अवस्थी के वर्णों के आधार पर गोपाल अवस्थी, गोपाल ऐरन व गोपाल जायसवाल के क्रम में नाम रखे जाएंगे।

6. यदि किन्हीं दो या इससे अधिक उम्मीदवारों के नाम एक ही हैं तो उनके नामों के आगे नाम निर्देशन पत्र में या बाद में उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उनके पिता का

नाम, उनकी उपजीविका या निवास स्थान लिखाकर सुभिन्न किया जाएगा। जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में "राम प्रकाश" नाम के तीन उम्मीदवार हैं, तो मतदाताओं को उनकी पहचान करने के लिए उनके पिता के नाम या उनका व्यवसाय अथवा निवास स्थान का उल्लेख किया जाएगा और वर्णानुक्रम उसके आधार पर निर्धारित होगा। सुविधा हेतु इसे इस प्रकार और स्पष्ट किया जा रहा है:-

राम प्रकाश पुत्र श्री कन्हैया

राम प्रकाश पुत्र श्री जवाहर

राम प्रकाश पुत्र श्री बनवारी

7. यदि किसी उम्मीदवार के नाम के पहले कोई आदर सूचक उपाधि आदि शब्द तथा स्वामी, डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पंडित, मौलाना, मास्टर, राजा, राजकुमार, कुँवर आदि हैं, तो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची एवं मत-पत्रों के नामों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते समय इन आदरसूचक, शैक्षणिक योग्यता, पैतृक नाम, व्यवसायिक नाम या उपाधिसूचक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें उपेक्षित कर दिया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि किसी उम्मीदवार का नाम "ठाकुर प्रसाद" है, तो नाम के प्रथम वर्ण "ठ" से निर्धारित किया जाएगा परन्तु यदि कोई उम्मीदवार "ठाकुर राम चरन" लिखता है, तो यहाँ "ठाकुर" शब्द उपाधिसूचक होगा अतः इस शब्द से नहीं बल्कि मूल नाम के प्रथम वर्ण "र" से वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा।

8. एक ही वर्ण से यदि कई नाम प्रारम्भ हो, यथा "क" वर्ण से प्रारम्भ होने वाले कई नाम हैं जैसे क्रान्ति कुमार, कुमार सेन, किशन सिंह, कैलाश, प्रकाश व कमरुद्दीन तो इनका नाम वर्णानुक्रम इस प्रकार होगा :-

कमरुद्दीन

किशन सिंह

कुमार सेन

कैलाश प्रकाश

क्रान्ति कुमार

इसी प्रकार अन्य वर्णों से प्रारम्भ होने वाले नामों का वर्णानुक्रम नियत किया जाएगा।

9. यदि कोई उम्मीदवार यह कहता है, कि उनके नाम निर्देशन पत्र में उसका नाम अशुद्ध है, या अन्यथा अशुद्ध रूप से दर्शित किया गया है या उस नाम से भिन्न है, जिस नाम से वह लोकप्रिय है, तो वह निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होने से पूर्व किसी भी समय, आपको अपने नाम को अंकित कर हिज्जे के साथ लिखित रूप में दे सकता है। उसके इस अनुरोध की प्रमाणिकता के बारे में निर्वाचन अधिकारी के समाधान हाने पर आवश्यक संशोधन या परिवर्तन किया जाएगा और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में उनके नाम का वही रूप और हिज्जे रखेंगे जो उसने दिया है।

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नामों को वणक्रम के अनुसार निर्धारित करने हेतु वही उदाहरण सुलभ संदर्भ हेतु दिया जा रहा है :-

नाम निर्देशनों के अनुसार नाम	वर्ण क्रम के अनुसार नाम
1 राम प्रकाश	1 मो0 अहमद
2 ऊदल	2 मौलाना आफताब अहमद
3 ओम प्रकाश	3 ऊदल पुत्र श्री पदारथ
4 करम चन्द	4 ऊदल पुत्र "श्री राम सुमिरन"
5 सतीश कुमार	5 ओम प्रकाश
6 मिश्रा राजीव लोचन्	6 करम चन्द
7 सहगल हेमन्त कुमार	7 कुरील हेमराज
8 कुरील हेमराज	8 त्रिभुवन नाथ
9 पंडित राम सजीवन	9 मिश्रा राजीव लोचन
10 मौलाना आफताब अहमद	10 राम प्रकाश
11 जे0 सी0 विश्वास	11 पंडित राम सजीवन
12 डाक्टर एस0पी0 सक्सेना	12 जे0सी0 विश्वास
13 शैवाल कुमार	13 शंशाक
14 सतीश कुमार अवस्थी	14 शिव कुमार
15 सतीष कुमार जालान	15 श्रवण कुमार
16 त्रिभुवन नाथ	16 डाक्टर एस0पी0 सक्सेना
17 श्रवण कुमार	17 सतीश कुमार
18 शंशाक	18 सतीश कुमार अवस्थी
19 शिव कुमार	19 सतीष कुमार जालान
20 मो0 अहमद	20 सहगल हेमन्त कुमार

(अनुलग्नक-ग का नियम 37 देखें)
विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सूची

खण्ड का नाम.....

.....प्रबंधन समिति के सदस्यों का निर्वाचन

आवंटित क्रम संख्या	मूल प्रवाहिका का नाम	प्रवाहिका का नाम	पहुँच/उपकमांड	प्रत्याशी का नाम	प्रत्याशी का पता	प्रत्याशी की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक
रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(अनुलग्नक-ग का नियम 38 देखें)
नाम वापसी की सूचना

.....के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन

सेवा में,

रिटर्निंग आफीसर

मैं.....एक नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी के रूप में उक्त निर्वाचन के लिए सूचना देता हूँ कि
मैं अपना अभ्यर्थन वापस ले रहा हूँ।

स्थान

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में (दिनांक)समय.....नाम.....द्वारा उपलब्ध कराया गया।

दिनांक.....

रिटर्निंग अधिकारी

(अनुलग्नक-ग का नियम 37 देखें)

अभ्यर्थन वापसी की सूची

जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के सदस्य का निर्वाचन

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि उपर्युक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थीगण अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता है/लेते हैं।

क्रमसं०	मूल प्रवाहिका का नाम/खण्ड	प्रवाहिका का नाम/कुलाबा संख्या	पहुँच/उप कमांड	अभ्यर्थी का नाम	आवंटन प्रतीक चिन्ह
1	2	3	4	5	6

दिनांक

स्थान

रिटर्निंग अधिकारी

(अनुलग्नक-ग का नियम 39 देखें)
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूचना

.....खण्ड में.....प्रबंध समिति के सदस्य का निर्वाचन

क्रसं०	मूल प्रवाहिका का नाम	प्रवाहिका का नाम/कुलाबा संख्या	पहुँच/उपकमांड	अभ्यर्थी का नाम	आवंटन प्रतीक/सौंपना
1	2	3	4	5	6

दिनांक
स्थान

रिटर्निंग अधिकारी

निर्धारित चुनाव चिन्ह की सूची



कलम-दवात
(1)



कुल्हाड़ी
(2)




कुर्सी
(3)



घड़ी
(4)



घर
(5)




चारपाई
(6)



जग
(7)



टोकरी
(8)



टोपी
(9)



ताला-चाबी
(10)



पतंग
(11)



पम्प
(12)



बाल्टी
(13)



बस
(14)



हैण्ड-पम्प
(15)

कुलाबा समितियों का सामान्य निर्वाचन,

प्रमाण-पत्र

(सदस्य, प्रबंधन समिति)

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपिता/पति.....
 नि०-ग्रामतहसील.....जनपद..... के.....खण्ड-.....की.....की
 कुलाबा संख्याके उपकमाण्डसे वर्षमें सम्पन्न हुए कुलाबा समिति के सामान्य निर्वाचन
 में सदस्य निर्वाचित हुए/हुई।

दिनांक

हस्ताक्षर

सीन

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

खण्ड का नाम

जनपद

मोहर

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितियों का सामान्य निर्वाचन,

प्रमाण-पत्र

(सदस्य, प्रबंधन समिति)

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपिता/पति.....
 नि०-ग्रामतहसील.....जनपद..... के.....खण्ड-.....की.....की
 अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के रीचसे वर्षमें सम्पन्न हुए अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका
 समिति के सामान्य निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित हुए/हुई।

दिनांक

हस्ताक्षर

सीन

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी

खण्ड का नाम

जनपद

मोहर

रजबहा समितियों का सामान्य निर्वाचन,

प्रमाण-पत्र

(सदस्य, प्रबंधन समिति)

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपिता/पति.....
नि०-ग्रामतहसील.....जनपद..... के.....खण्ड-.....की.....की
रजबहा के रीचसे वर्षमें सम्पन्न हुए रजबहा समिति के सामान्य निर्वाचन में सदस्य
निर्वाचित हुए/हुई।

दिनांक

हस्ताक्षर

सीन

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी
खण्ड का नाम
जनपद

मोहर

शाखा समितियों का सामान्य निर्वाचन,

प्रमाण-पत्र

(सदस्य, प्रबंधन समिति)

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्रीपिता/पति.....
नि०-ग्रामतहसील.....जनपद..... के.....खण्ड-.....की.....की
शाखा के रीच.....से वर्षमें सम्पन्न हुए शाखा समिति के सामान्य निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित
हुए/हुई।

दिनांक

हस्ताक्षर

सीन

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी
खण्ड का नाम
जनपद

मोहर

अन्धे और विकलांग मतदाताओं की सूची का प्रारूप

जल उपभोक्ता समिति केकुलाबा उपकमाण्ड/खण्ड क्रमांकजनपदसे
सदस्य के लिए निर्वाचन

जल उपभोक्ता समिति कुलाबा उपकमाण्ड/खण्ड क्रमांक के मतदान केन्द्र
की संख्याव नाम

निर्वाचन की भाग संख्या	क्रम संख्या	निर्वाचक का पूरा नाम	मतदान में सहयोगी का पूरा नाम व पता	साथी के हस्ताक्षर

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

सहायक/साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं श्री/सुश्री/कु0/श्रीमतीजोकी कुलाबा संख्याके उपकमाण्ड संख्याके क्रमांकपर मतदाता के रूप में दर्ज हैं और अंधेपन/अषक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित करने/मतपत्र मोड़ने/मतपेटी में डालने में असमर्थ हैं, के साथी के रूप में श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....की इच्छानुसार 36अभिलिखित कर/मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालूँगा/डालूँगी। मैं अभिलिखित मत की गोपनीयता बनाए रखूँगा/रखूँगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सिवाय श्री/सुश्री/कु0/श्रीमतीके अन्य किसी के मतदान में सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है और न आज के मतदान में किसी अन्य के सहयोगी के रूप में कार्य करूँगी/करूँगी।

मतदान सहयोगी के हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता

आयु.....

आपत्ति निक्षेप धनराशि की रसीद

श्रीअभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता /मतदान अभिकर्ता से रूपए 5.00 (पांच रूपए) की राशि आपत्ति के निक्षेप के रूप में प्राप्त की।

स्थान

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी
मतदान सलिल क्रमांक

रसीद वापसी

आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप

.....के निर्वाचन के दौरान आपत्तिकृत मतों की विशिष्टियां

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	उसकी कुलाबा संख्या..... के उपकमाण्ड संख्या..... का नाम जिसकी की मतदाता सूची है	जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गयी है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान
1	2	3	4	5

जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गयी है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

स्थान

तारीख.....

जो लागू न हो उसे काट दीजिए

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदत्त मतों की सूची का प्रारूप

.....की कुलाबा संख्याके उपकमाण्ड संख्यासे सदस्य के लिए निर्वाचन।

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	उस ग्राम का नाम जिसकी कि मतदाता सूची में है	निविदत्त मतपत्र अनुक्रमांक	जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए मतपत्र का अनुक्रमांक	मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निषान
1	2	3	4	5	6	7

स्थान

तारीख.....

.....

पीठासीन अधिकारी

मतपत्र लेखा

1. समिति का नाम
2. मतदान केन्द्र/स्थल
3. मतदान का दिनांक
4. खण्ड का नाम
5. पैतृक नहर का नाम

लेखा (कुलाबा समिति)

क्रमांक-1 :- पीठासीन अधिकारी को प्राप्त मतपत्रों का विवरण

क्रम सं०	मतपत्र का स्रोत	मतपत्रों का विवरण												कुल
		सफेद मतपत्र		पीला मतपत्र		लाल मतपत्र		आसमानी मतपत्र		गुलाबी मतपत्र		हरा मतपत्र		
	 से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल	

क्रमांक-2 :- अवशेष मतपत्रों (जिनका उपयोग नहीं किया गया है) का विवरण

क्रम सं०	मतपत्र का स्रोत	मतपत्रों का विवरण												कुल
		सफेद मतपत्र		पीला मतपत्र		लाल मतपत्र		आसमानी मतपत्र		गुलाबी मतपत्र		हरा मतपत्र		
	 से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल	

क्रमांक-3 :- उपयोग किया गया मतपत्र परन्तु मतपेटी में नहीं डाला गया

क्रम सं०	मतपत्र का स्रोत	मतपत्रों का विवरण												कुल
		सफेद मतपत्र		पीला मतपत्र		लाल मतपत्र		आसमानी मतपत्र		गुलाबी मतपत्र		हरा मतपत्र		
	 से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल से तक	कुल	

क्रमांक-4 :- मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की गणना

मतपेटी में मतपत्रों की संख्या = [क्रमांक-1 के मतपत्र] - {[क्रमांक-2 के मतपत्र] + [क्रमांक-3 के मतपत्र]} =

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

मतपत्र लेखा

1. समिति का नाम
2. मतदान केन्द्र/स्थल
3. मतदान का दिनांक
4. खण्ड का नाम
5. पैतृक नहर का नाम

लेखा (अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति)

क्रमांक-1 :- पीठीसीन अधिकारी को प्राप्त मतपत्रों का विवरण

क्रम सं०	मतपत्र का स्रोत	मतपत्रों का विवरण									कुल मतपत्र	
		सफेद मतपत्र			पीला मतपत्र			गुलाबी मतपत्र				
	 से तक	संख्या	कुल मतपत्र से तक	संख्या	कुल मतपत्र से तक	संख्या	कुल मतपत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

क्रमांक-2 :- अवशेष मतपत्रों (जिनका उपयोग नहीं किया गया है) का विवरण

क्रम सं०	मतपत्र का स्रोत	मतपत्रों का विवरण									कुल मतपत्र
		सफेद मतपत्र			पीला मतपत्र			गुलाबी मतपत्र			
	 से तक	संख्या	कुल मतपत्र से तक	संख्या	कुल मतपत्र से तक	संख्या	कुल मतपत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

क्रमांक-3 :- उपयोग किया गया मतपत्र परन्तु मतपेटी में नहीं डाला गया

क्रम सं०	मतपत्र का स्रोत	मतपत्रों का विवरण									कुल मतपत्र
		सफेद मतपत्र			पीला मतपत्र			गुलाबी मतपत्र			
	 से तक	संख्या	कुल मतपत्र से तक	संख्या	कुल मतपत्र से तक	संख्या	कुल मतपत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

क्रमांक-4 :- मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की गणना

मतपेटी में मतपत्रों की संख्या = {क्रमांक-1 के मतपत्र} - {(क्रमांक-2 के मतपत्र) + (क्रमांक-3 के मतपत्र)} =

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी की डायरी

जल उपभोक्ता समिति के सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में

1. खण्ड का नाम.....
2. मतदान का दिनांक
3. मतदान स्थल की संख्या व नाम
4. मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है : सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी/स्थाई निर्माण
5. चुनाव अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत नियुक्त मतदान नाम.....
अधिकारी की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान पता
अधिकारी का नाम और पता (यदि कोई हो) और नियुक्ति का कारण
6. अनुपस्थिति का कारण

उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार और बड़ी
नम्बर (यदि कोई मतपेटिकाओं पर हो) छोटी.....

मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण :-

मतदाता	मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता	मतदाता जिन्होंने मतदान किया	मतदान का प्रतिशत
1	2	3	4
पुरुष			
महिला			
योग			

7. मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी/अस्थाई निर्माण पर उपस्थिति :-

क्र०सं०	पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है	निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या	उपस्थित अभिकर्ताओं की संख्या एवं उनके	
			अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता	मतदान अभिकर्ता
1	2	3	4	5
1	सदस्य (मतदान स्थल के अन्तर्गत सभी उपकमाण्डों के लिए मिलाकर)			

1. अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान सहायता दी गई।
2. आपत्तिकृत (चैलेन्जड) मतों की संख्या जब की गई धनराशि
3. निविदत्त (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या
4. यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि (विस्तृत विवरण अलग संलग्न करें)।
5. जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला, तब का सही समय
6. अन्य महत्वपूर्ण घटना (यदि कोई हो तो)

दिनांक को सायं 5:00 बजे.....में सेक्टर/क्षेत्र के भ्रमण के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर दी जाने वाली सूचना।

क्रसं	मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक	पीने का पानी, शौचालय व फोन आदि की व्यवस्था	भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र पर जाने वाले मार्ग की उपयुक्तता	कानून व्यवस्था की स्थिति
<p>हस्ताक्षर.....</p> <p>नाम.....</p> <p>पदनाम.....</p> <p>मोहर.....</p> <p>सेक्टर का नाम व संख्या.....</p>					

सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम चरण दिनांक की पूर्वान्ह निर्वाचन कन्ट्रोल
कक्ष को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे सेक्टर.....(नाम) में स्थित समस्त मतदान स्थल
संख्या.....की समस्त पोलिंग पार्टियों द्वारा समस्त निर्वाचन सामग्री, मतपत्र एवं
मतपेटी प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित वाहनों में सम्बन्धित मतदेय स्थलों के लिए प्रस्थान कर चुकी
है। मतपेटी सही दशा में है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सीन.....

नाम.....

पद नाम.....

मुख्यालय.....

सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम चरण दिनांककी सायंकाल

निर्वाचन कन्ट्रोल कक्ष को भेजे जाने वाले संदेश का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे सेक्टर.....(नाम) में स्थित समस्त मतदान स्थल संख्या.....की समस्त पोलिंग पार्टियों द्वारा समस्त निर्वाचन सामग्री, मतपत्र एवं मतपेटी के साथ कुशलपूर्वक मतदेय सिलों पर पहुंच गई है तथा दिनांक को मतदान कार्य कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सीन.....

नाम.....

पद नाम.....

मुख्यालय.....

सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम चरण दिनांकको प्रातः निर्वाचन
कन्ट्रोल कक्ष एवं जौनल मजिस्ट्रेट को भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे सेक्टर.....(नाम) में स्थित समस्त मतदान स्थल
संख्या.....पर मतदान प्रारम्भ हो गया है। मतपेटी मतदान हेतु सही दशा में है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सीन.....

नाम.....

पद नाम.....

मुख्यालय.....

सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान दिवस की सायं 5:00 बजे पश्चात मतदान सकुशल सम्पन्न होने के सम्बन्ध में सहायक रिटर्निंग आफिसर/निर्वाचन नियन्त्रण कक्ष को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे सेक्टर.....(नाम) के समस्त मतदान स्थल संख्या.
.....में मतदान
कार्य सकुशल सम्पन्न हो गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सीन.....

नाम.....

पद नाम.....

मुख्यालय.....

सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम चरण दिनांक की सायंकाल निर्वाचन कन्ट्रोल

कक्ष एवं जोनल मजिस्ट्रेट को दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे सेक्टर.....(नाम) में स्थित समस्त मतदान स्थल संख्या.....की समस्त पोलिंग पार्टियों द्वारा समस्त मतदान सामग्री एवं मतपेटी आदि.....में निर्धारित काउन्टर पर जमा करा दी गयी हैं तथा मेरे सेक्टर में मतदान स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हुआ है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सीन.....

नाम.....

पद नाम.....

मुख्यालय.....

पीठासीन अधिकारी को कार्यमुक्त करने का

प्रमाण-पत्र

श्री, जो मतदान केन्द्र मतदान स्थल
..... पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त थे, को समिति के दिनांक
.....को सम्पन्न निर्वाचन से सम्बन्धित अपने दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वाहन के पश्चात्
कार्यमुक्त किया जाता है।

हस्ताक्षर

.....
.....

गणना परिणाम

.....प्रबन्धन समिति के सदस्य के निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम

मतदान स्थल सं०.....मतदान केन्द्र सं०.....स्थान.....

क्रमांक	पैतृक नहर समिति	उपकमाण्ड / रीच	डाले गए मतों की संख्या	विधिमान्य मतों की कुल संख्या	प्रक्षेपित (खारिज/रद्द) मतों की संख्या	निविदत्त मतपत्रों की संख्या	निर्वाचित सदस्य/सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मतगणना का स्थान.....(गणना पर्यवेक्षक का नाम व हस्ताक्षर)

मतगणना मेज संख्या.....

दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी

गणना-पर्ची

सामान्य/उप निर्वाचन.....

पद/स्थान..... सदस्य जल उपभोक्ता समिति.....

पैतृक नहर का नाम.....

कुलाबा संख्या/नहर का नाम.....

उपकमाण्ड/पहुँच.....मतदान स्थल क्रमांक व नाम.....

गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की सं०.....बंडलों की सं०.....कुल मतपत्रों

की सं०.....

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	वैध मतपत्रों के बंडलों की सं	वैध मतों की सं०	संदिग्ध मतपत्रों की संख्या	अस्वीकृत मतपत्र	योग
1						
2						
3						
4						
5						
6						

हस्ताक्षर—
गणना पर्यवेक्षक :हस्ताक्षर—
निर्वाचन अधिकारी/
सहायक निर्वाचन अधिकारी

अस्वीकृत मतपत्रों की सूची

यह मतपत्र निम्न कारण से अस्वीकृत किया जाता है :-

- 1- सामने की ओर कोई निशान नहीं लगा है।
- 2- निशान इस प्रयोजनार्थ दिए गए रबर सील से भिन्न तरीके से लगा गया है।
- 3- निशान खाली स्थान/पृष्ठ भाग या पूरी तरह उपेक्षित स्थान पर लगा है।
- 4- निशान सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र हेतु नियत स्थानों से अधिक प्रत्याशियों के सामने लगा है।
- 5- निशान/लेखन से मतदाता की पहचान होती है।
- 6- मतपत्र इतना कटा-फटा है जिससे मत की पहचान संभव नहीं है।
- 7- मतपत्र प्रमाणिक नहीं है और नकली है।
- 8- निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित है।

निर्वाचन अधिकारी/
सहायक निर्वाचन अधिकारी,
खण्ड.....
जनपद.....

वैध मतपत्रों के बंडल पर लगी पर्ची का प्रारूप

1. उम्मीदवार का नाम.....
2. बण्डलों की संख्या
3. वैध मतपत्रों की संख्या

मतपत्रों का विवरण

मतदान केन्द्र का नाम व संख्या-

मतदान स्थल की संख्या-

क्र०सं०	पैतृक नहर का नाम	कुलाबा नम्बर/ नहर का नाम	उपकमाण्ड संख्या/रीच	प्रत्याशी का नाम	प्रत्याशी को प्राप्त वैध मतों की संख्या
				कुल योग-	

निर्वाचन परिणाम पंजिका

जनपद

खण्ड.....

क्र०सं०	पैतृक नहर का नाम	नहर/कुलाबा नं०	पहुँच/उपकमाण्ड	निर्वाचन परिणाम घोषणा का दिनांक एवं समय	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव दिन्ह	निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या	निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर	निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9